पत्र संख्या बी-1-एलाटमेन्ट-3/2016-2017/ 1088 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर ,उत्तर प्रदेश
(बजट अनुभाग)

लखनऊ::दिनांक:: 27, Feruary, 2017

आहरण एवं वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर,
सहारनपुर,मुजफ्फरनगर,बरेली,मुरादाबाद,रामपुर,वाराणसी,
गाजीपुर,गोरखपुर,बस्ती,आजमगढ़,लखनऊ,रायबरेली,गाजियाबाद,
सोनभद्र,महाराजगंज,औरेया एवं सम्भल ।

चालू वित्तीय वर्ष 2016-2017 एवं विगत वर्ष 2015-2016 के लम्बित बिलों के भुगतान हेतु अनुदान संख्या-89 के अन्तर्गत **लेखाशीर्षक-''2040- बिकी, व्यापार आदि पर कर-800-अन्य व्यय-आयोजनेत्तर-03-वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान''** के अधीन संलग्न विवरण के अनुसार धनराशि का आवंटन किया जाता है ।

कृपया आवंटित की जा रही धनराशि का समुचित उपयोग कर लिये जाने की कार्यवाही से मुख्यालय को भी अवगत करायें । यह आवंटन किसी भी प्रकार से व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता, जब तक कि बजट मैनुअल और वित्तीय हस्त-पुस्तिका के संगत नियमों एवं अन्य आदेशों/शासनादेशो के अन्तर्गत जहाँ शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, वहाँ ऐसी स्वीकृति व्यय करने से पूर्व सक्षम स्तर से न प्राप्त कर ली जाये । अतः सक्षम अधिकारी से नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त करके ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये ।

प्रमाणित किया जाता है कि इस आवंटन की प्रविष्टि बजट-आवंटन पंजिका के सम्बन्धित पृष्ठों पर कर ली गयी है ।

संलग्नक-: यथोपरि ।

(सुभाष चन्द्र यादव)
एडीशनल कमिश्नर (लेखा) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश,लखनऊ ।

पृ0प0सं0 एवं दिनाँक यथोपरि ।

प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को उपर्युक्त संलग्नकों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1:- **मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी सहारनपुर,मुजफ्फरनगर,बरेली,मुरादाबाद, रामपुर,वाराणसी,गाजीपुर,गोरखपुर,बस्ती,आजमगढ,लखनऊ कलेक्ट्रेट, रायबरेली,गाजियाबाद,सोनभद्र,महाराजगंज,औरेया एवं सम्भल ।**

2:- **उपमहालेखाकार,राजकोष एवं वी0एल0सी0,कार्यालय महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।**

(सुभाष चन्द्र यादव)
एडीशनल कमिश्नर (लेखा) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश,लखनऊ ।